रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-71 REGISTERED No. D-(D)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 1975/श्रावण 10, 1897

No. 152] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 1975/SRAVANA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st August 1975

SUBJECT.—*Revision in the rate of conversion of £ (sterling) into Rupees.*

No. 75-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the former Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated the 21st July, 1972 stipulating the revised rates of conversion of Pound Sterling into rupees for purpose of calculation of composite rates of exchange of different currencies as required under Public Notice No 15-ITC(PN)/72, dated the 28th January, 1972.

2. Consequent on the change in the R.B.I's spot selling and buying rates of pound sterling w.e.f. 2nd July, 1975, the rate of conversion of £ sterling into Rupees has also been revised to £ (St.) 5.3420=Rs. 100. The above rate of exchange should be adopted from the 2nd July, 1975, until further orders, for calculation of composite rate as prescribed in para 3 of the former Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated the 28th January, 1972.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाऐ

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1975

विषय.—पौंड (स्टर्लिंग) को रुपयों में परिवर्तन करने की दर में परिशोधन ।

सं० 75–आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 108–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21 जुलाई, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें सार्वजनिक सूचना संख्या 15–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28 जनवरी, 1972 में यथा अपेक्षित विभिन्न मुद्राओं के विनिमय की मिश्रित दरों की गणना के लिए पौंड स्टर्लिंग को रुपये में परिवर्तित करने की परिशोधित करें निर्धारित की गई है ।

2. 2 जुलाई, 1975 से भारतीय रिजर्व बैंक की पौंड स्टर्लिंग की स्थानिक विक्रय तथा क्रय करने की दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप रुपयों में पौंड स्टर्लिंग को परिवर्तित करने की दर भी 5.3420 पौंड (स्टर्लिंग) = 100 रुपये परिशोधित कर दी गई है । भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 15–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28 जनवरी 1972 के पैरा 3 में यथा निर्धारित मिश्रित दर की गणना के लिए मुद्रा विनिमय की उपर्युक्त दर 2 जुलाई, 1975 से अगले आदेश होने तक अपनानी चाहिए ।

SUBJECT. *Import policy in respect of iron and steel items as given in Appendix 41 of the ITC policy Red Book (Vol. I) for the period April, 1975 March, 1976.*

No. 76-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the import policy in respect of various items of iron and steel as given in Schedule 'A' to 'E' of Appendix 41 of the Import Trade Control Policy Red Book (Volume I) for the period April, 1975—March, 1976.

2. The import policy in respect of items appearing in Schedule 'A' to 'D' of Apperdix 41 to the aforesaid Red Book, the import of which is permitted subject to clearance from Iron and Steel Controller, Calcutta, has been reviewed and it has been decided to make certain amendments in the import policy of such items, as incorporated in the Annexure to this Public Notice. The import policy for these items indicated in the relevant Schedule of Apperdix 41 to the Import Trade Control Policy Red Book (Volume I) for April, 1975—March, 1976 may be deemed to have been amended accordingly.

ANNEXURE

Page No. of the Red Book (Volume I)	Reference in Appendix 41	Details of amendments
1	2	3
		Schedule 'A'
274	S. No. 13 . .	This item may be deemed to have been deleted.
274	S. No. 15, Coumn 3	*For* the existing remark, *Read* "90% import allowed. (Name of indigenous producer is mentioned at Sl. No. 33 of Schedule 'F')."

1	2	3
		Schedule 'B'
277	S. No. 3 . .	This item may be deemed to have been deleted.
277	S. No. 5(a), Column 3.	*For* the existing remark, *Read* "Import allowed."
277	S. No. 5(b), Column 3.	*For* the existing remark, *Read* "50% import allowed. (Names of indigenou producers are mentioned at S. Nos. 1 ard 7 of Schedule 'F')."
277	S. No. 5 (c) & (d), Column 3.	*For* the existing remark, *Read* "Import allowed".
278	S. No. 7(b), Column 3.	*For* the existing remark, *Read* "Upto 12mm—Import allowed. above 12mm—50% import allowed. (Name of indigenous producer is mentioned at S. No. 15 of Schedule 'F')."
278	S. No. 14, Column 3.	*For* the existing remark (ii), *Read* "26 to 32 SWG—10% import allowed. (Name of indigenous producer is mentioned at S. No. 20 of Schedule 'F')."
279	S. No. 23, Column 3.	*For* the existing remark (b), *Read* "For applications other than (a) above, 10% import allowed. (Names of indigenous producers are mentioned at S. Nos. 20 and 21 of Schedule 'F')."
279	S. No. 24, Column	*For* the existing remark, *Read* "10% import allowed. (Names of indigenous producers are mentioned at S. Nos. 20 and 21 of Schedule 'F')."
279	S. No. 25, Column	*For* the existing remark (b), *Read* "For sewing machines and gramophone needles, 10% import allowed. (Name of indigenous producer is mentioned at S. No. 20 of Schedule 'F')."
279	S. No. 26, Columns 2 & 3.	(1) *For* the existing description "Stainless Steel wire" in column 2, *Read* "Stainless steel/heat resisting steel wire". (2) *For* the existing remark (b)(i), *Read* "Hard drawn wires in 16-22 SWG, 10% import allowed. (Names of indigenous producers are mentioned at S. Nos. 20, 21 and 22 of Schedule 'F')."
279	S. No. 28, Column 3.	*For* the existing remark, *Read* "10% import allowed. (Names of indigenous producers are mentioned at S. Nos. 20 and 21 of Schedule 'F')."
		Schedule 'C'
280	S. No. 2(a), Column 3.	*For* the existing remark, *Read* "5% import allowed. (Names of indigenous producers are mentioned at S. Nos. 13, 14, 15 and 16 of Schedule 'F')."
281	S. No. 10(b)(I), Column 3.	*For* the existing remark, *Read* "10% import allowed. (Names of indigenous producers are mentioned at S. Nos. 13, 15, 1 and 24 of Schedule 'F')."

1	2	3
		Schedule 'D'
282	S. No. 1(b), Column 3.	*For* the existing remark, *Read* "10% import allowed. (Name of indigenous producer is mentioned at S. No. 27 of Schedule 'F')."
282	S. No. 2 . .	*For* the existing remark, *Read* "10% import allowed. (Name of the indigenous producer is mentioned at S. No. 27 of Schedule 'F')."
286	S. No. 11(b), Column 3.	*For* the existing remark, *Read* "40% import allowed. (Name of indigenous producer is mentioned at S. No. 32 of Schedule 'F')."
287	S. No. 19, Column 3.	*For* the existing remark, *Read* "80% import allowed. (Name of indigenous producer is mentioned at S. No. 3 of Schedule 'F')."

विषय—अप्रैल, 1975-मार्च 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेडबुक (वा०—1) के परिशिष्ट 41 में यथा प्रदान लोहा तथा इस्पात मदों के सम्बन्ध मे आयात नीति ।

सं० 76—आई० टी० सी० (पी० एम०)/75— अप्रैल 1975—मार्च 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियत्रण नीति रेड बुक (वा० -1) के परिशिष्ट—41 में अनुसूची 'ए' से 'ई' तक में यथा प्रदान लोहा तथा इस्पात की विभिन्न मदों के सम्बन्ध मे आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. उपर्युक्त रेड बुक के परिशिष्ट 41 की अनुसूची 'ए' से 'डी' में दिखाई गई मदों के सम्बंध में जिनका आयात लोहा तथा इस्पात नियंत्रक कलकत्ता द्वारा निकासी के अधीन स्वीकृत है की आयात नीति की पुनरीक्षा की गई है और यह निश्चय किया गया है कि प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के लिए अनुबन्ध मे यथा शामिल की गई ऐसी मदों की आयात नीति में कुछ संशोधन किए जाए । तदनुसार अप्रैल 1975—मार्च 1976 के लिए आयात व्यापार नियत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) के लिए परिशिष्ट की सम्बद्ध अनुसूची में संकेतित इन मदों के लिए आयात नीति को संशोधित किया गया समझा जाए ।

अनुबन्ध

रेड बुक (वा० 1) की पृष्ठ सख्या	परिशिष्ट 41 में सदर्भ	मण धनों के ब्योरे
1	2	3
		अनुसूची "ए"
274	क्रम सं० 13	इस मद को हटाया गया समझा जाए ।
274	क्रम सं० 15 कालम—3.	वर्तमान टिप्पणी के लिए "90 प्रतिशत आयात स्वीकृत है (देशी उत्पादक का नाम अनुसूची 'एफ' की क्रम सं० 33 पर संकेतित है)" पढ़ें ।

1	2	3

अनुसूची "जी"

277	क्रम सं० 3	इस मद को हटाया गया समझा जाए ।
277	क्रम सं० 5(ए) कालम–3	वर्तमान टिप्पणी के लिए "आयात स्वीकृत है" पढ़ें ।
277	क्रम सं० 5 (बी) कालम–3	वर्तमान टिप्पणी के लिए "50 प्रतिशत आयात स्वीकृत है (देशी उत्पादकों के नाम अनुसूची 'एफ' की क्रम संख्या 5 एवं 7 पर संकेतित है)" पढ़ें ।
277	क्रम सं० 5 (सी) तथा डी कालम–3	वर्तमान टिप्पणी के लिए "आयात स्वीकृत है" पढ़ें ।
278	क्रम सं० 7 (बी) कालम–3	वर्तमान टिप्पणी के लिए "12 एम एम तक—आयात स्वीकृत है । 12 एम एम से ऊपर—50 प्रतिशत आयात स्वीकृत है (देशी उत्पादक का नाम अनुसूची 'एफ' की क्रम सं० 15 पर संकेतित है)" पढ़ें ।
278	क्रम सं० 14 कालम–3	वर्तमान टिप्पणी (2) के लिए "26 से 32 एम डब्ल्यू जी–10 प्रतिशत आयात स्वीकृत है । (देशी उत्पादक का नाम अनुसूची 'एफ' की क्रम संख्या 20 पर संकेतित है)" पढ़ें ।
279	क्रम सं० 23 कालम–3	वर्तमान टिप्पणी (बी) के लिए "उपर्युक्त (ए) से भिन्न आवेदन पत्रों के लिए 10 प्रतिशत आयात स्वीकृत है । (देशी उत्पादकों के नाम अनुसूची 'एफ' की क्रम सं० 20 तथा 21 पर संकेतित है)" पढ़ें ।
279	क्रम सं० 24 कालम–3	वर्तमान टिप्पणी के लिए "10 प्रतिशत आयात स्वीकृत है । (देशी उत्पादकों के नाम अनुसूची 'एफ' की क्रम संख्या 20 तथा 21 पर संकेतित है)" पढ़ें ।
279	क्रम सं० 25 कालम–3	वर्तमान टिप्पणी (बी) के लिए "सीवन मशीन तथा ग्रामोफोन सूइयों के लिए 10 प्रतिशत आयात स्वीकृत हैं । (देशी उत्पादक का नाम अनुसूची 'एफ' की क्रम संख्या 20 पर संकेतित है)" पढ़ें ।
279	क्रम सं० 26 कालम–2 व 3	(1) कालम 2 में "जंगारोधी इस्पात तार" के वर्तमान विवरण के लिए "जंगारोधी इस्पात/तार रोधक इस्पात तार" पढ़ें । (2) वर्तमान टिप्पणी में (1) के लिए "एम डब्ल्यू जी 16–22 में हार्ड ड्रान तार 10 प्रतिशत आयात स्वीकृत है । (देशी उत्पादकों के नाम अनुसूची 'एफ' की क्रम संख्या 20, 21 तथा 22 पर संकेतित है)" पढ़ें ।

1	2	3
279	क्रम स० 28, कालम–3.	वर्तमान टिप्पणी के लिए, "10 प्रतिशत आयात स्वीकृत है। (देशी उत्पादकों के नाम अनुसूची "एफ" की क्रम" संख्या 20 तथा 21 पर संकेतित है)" पढ़ें।
		अनुसूची "सी"
280	क्रम स० 2 (ए), कालम–3.	वर्तमान टिप्पणी के लिए, "5 प्रतिशत आयात स्वीकृत है। (देशी उत्पादकों के नाम अनुसूची "एफ" की क्रम संख्या 13, 14, 15 तथा 16 पर संकेतित है)" पढ़ें।
281	क्रम स० 10 (बी) (1), कालम–3.	वर्तमान टिप्पणी के लिए, "10 प्रतिशत आयात स्वीकृत है। (देशी उत्पादकों के नाम अनुसूची "एफ" की क्रम संख्या 13, 15, 19 तथा 24 पर संकेतित है)" पढ़ें।
		अनुसूची "डी"
282	क्रम स० 1 (बी), कालम–3.	वर्तमान टिप्पणी के लिए, "10 प्रतिशत स्वीकृत है। (देशी उत्पादक का नाम अनुसूची "एफ" की क्रम संख्या 27 पर संकेतित है)" पढ़ें।
282	क्रम स० 2	वर्तमान टिप्पणी के लिए "10 प्रतिशत आयात स्वीकृत है। (देशी उत्पादक का नाम अनुसूची "एफ" की क्रम संख्या 27 पर संकेतित है)" पढ़ें।
286	क्रम स० 11(बी), कालम–3.	वर्तमान टिप्पणी के लिए, "40 प्रतिशत आयात स्वीकृत है। (देशी उत्पादक का नाम अनुसूची "एफ" की क्रम संख्या 32 पर संकेतित है)" पढ़ें।
287	क्रम स० 19 कालम–3.	वर्तमान टिप्पणी के लिए, "80 प्रतिशत आयात स्वीकृत है। (देशी उत्पादक का नाम अनुसूची "एफ" की क्रम संख्या 3 पर संकेतित है)" पढ़ें।

SUBJECT.—*Import of raw materials and components by Prime Contractors—Facility for grant of import licences direct during the licensing period April, 1975—March, 1976.*

No. 77-ITC(PN)/75.—The question of allowing the prime contractors to import raw materials and components directly for the jobs undertaken by them has been under consideration, as prime contractors not only undertake design and consultancy responsibilities, but also fabrication, assembly, inspection, erection, commissioning, etc. It has been decided that prime contractors may be allowed to import raw materials and components required for fabrication in the commissioning of projects on the AU condition that the imported raw material should be fabricated on his account by the approved producer. Such contractors will execute a joint bond and bank guarantee with the associate producers undertaking that the imported materials will be used by the associate producers for the purpose for which they were allowed. The producer shall not include the imported raw material obtained by him from the contractors for the purpose of fabrication in his consumption certificate for grant of further licences based on past consumption. In other words, the producer should not take any credit for consumption of such imported raw material in his factory. In cases it is not possible to indicate the names of the associate producers at the time of making applications, the contractors may

furnish a joint bond and bank guarantee at a later stage at the time of actual clearance of the goods through the customs. Such applications may be considered on the recommendation of the Ministry of Industry and Civil Supplies who will certify the standing of the prime contractors and the nature of the jobs undertaken and the requirements of imported raw materials and components, etc It is, therefore, necessary that all such applications should be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi through the Ministry of Industry and Civil Supplies

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय.—प्रमुख ठेकेदारों द्वारा कच्ची सामग्री और संघटकों का आयात लाइसेंस अवधि अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 के दौरान आयात लाइसेंसों की मंजूरी के लिए सीधे ही सुविधा ।

सं० 77—आई०टी०सी० (पी० एन०)/75.—प्रमुख ठेकेदारों द्वारा लिए गए कार्यों के लिए उन्हें सीधे ही कच्ची सामग्री और संघटकों का आयात करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार होता रहा है क्योंकि प्रमुख ठेकेदार केवल डिजाइन और परामर्श देने के उत्तरदायित्व का कार्य ही नहीं लेते बल्कि संरचना, संयोजन, निरीक्षण, उत्थापन, मज्जीकरण आदि का कार्य भी लेते हैं । यह निश्चय किया गया है कि प्रमुख ठेकेदारों को परियोजनाओं के मज्जीकरण में संरचना के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री और संघटकों के आयात करने की अनुमति इस वास्तविक उपयोक्ता शर्त पर दी जा सकती है कि अनुमोदित उत्पादक द्वारा आयातित कच्चे माल की अपने लेखे पर संरचना होनी चाहिए । ऐसे ठेकेदार सहयोगी उत्पादकों के साथ यह बचन देते हुए एक संयुक्त बाण्ड और बैंक गारण्टी का निष्पादन करेंगे कि आयातित सामग्री सहयोगी उत्पादकों द्वारा उसी कार्य के लिए उपयोग की जाएगी जिसके लिए उन्हें अनुमति दी गई थी । उत्पादक, ठेकेदारों से संरचना के लिए प्राप्त किए गए कच्चे माल को भूतकालीन उपयोग के आधार पर भविष्य में लाइसेंसों की मंजूरी के लिए अपने उपभोग-प्रमाणपत्र में शामिल नहीं करेगा । दूसरे शब्दों में, अपने कारखाने में ऐसे कच्चे माल के उपभोग के लिए उत्पादक को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए । यदि आवेदनपत्र देते समय सहयोगी उत्पादकों के नामों को निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है तो ऐसे मामलों में ठेकेदार, बाद में, सीमाशुल्क विभाग से माल की वास्तविक निकासी के समय संयुक्त बाण्ड और बैंक गारण्टी भेज सकते हैं । ऐसे आवेदनपत्रों पर उद्योग और नागरिक संभरण मंत्रालय की सिफारिश पर विचार किया जाएगा जो कि प्रमुख ठेकेदारों की साख और लिए गए कार्यों के स्वरूप और आयातित कच्ची सामग्री तथा संघटकों आदि को प्रमाणित करेगा । इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे सभी आवेदनपत्र उद्योग तथा नागरिक संभरण मंत्रालय के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजने चाहिए ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975